न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 08/प्रा0पत्र/2017

1. सत्यनारायण आ0 कल्याण जाति गुर्जर निवासी छाबडियों का नयागांव।
2. हरपाल आ0 कल्याण ज़ाति गुर्जर निवासी छाबडियों का नयागांव, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी, राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवलाल आ0 जानकीलाल जाति गुर्जर निवासी छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी, राज0।
2. तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।
3. श्रीमान नायब तहसीलदार दबलाना, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 251 (क) आर0टी0एक्ट

प्रार्थीगण अभिभाषक –श्री दिनेश शर्मा, महेश नामा

अप्रार्थीगण अभिभाषक – एकतरफा

निर्णय दिनांक :– 19/02/2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदार अधिकारों की भूमि खाता संख्या 166 खसरा संख्या 46 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी में विस्थित है। जमाबंदी वादपत्र के साथ संलग्न है। वादीगण की भूमि पर आने–जाने हेतु रास्ता बना हुआ है जिस पर होकर वादीगण अपने कृषि उपकरण लाने कृषि व साधन बेलगाडी, टैक्ट्रर ट्रॉली उसी रास्ते में होकर निकलता है। वादीगण के उक्त रास्ते को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा हाक जोत कर बंद कर दिया है और प्रार्थीगण के खेत पर आने–जाने के रास्ते को बंद कर दिया है जिससे वादी अपनी कृषि भूमियों पर नही आ जा पा रहा है और उसके रास्ते बंद कर देने से प्रार्थी अपनी कृषि भूमियों पर फसल पैदा नही कर पा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को बहाल कराने के लिये ग्राम पंचायत छाबडियों का नयागांव में प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मौका देखा गया और मौका रिपोर्ट बनायी गयी जिसमें भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के खेत पर आने–जाने के रास्ते को बंद करने व हांकने की रिपोर्ट पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को उक्त रास्ता बहाल करने हेतु प्रार्थना पत्र भेजा है जिसमें उक्त रास्ता राजस्व भूमि पर होने से उसका

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

ारण करने को कहा लेकिन अभी तक भी उक्त रास्ते को बहाल नही किया गया है स पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण की भूमि पर आने–जाने हेतु मौके पर विधेमान रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ताकि रास्ते के बाबत प्रार्थी आये दिन किसी प्रकार का झगडा नही करे व प्रार्थी की अपनी भूमि पर आवाजाही में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नही हो। प्रार्थी के रास्ते की भूमि अप्रार्थी के कब्जे में होने का नाजायज फायदा उठाकर आये दिन गाली गलोच करते है तथा झगडा करते है। अप्रार्थी ने दिनांक 25.12.2016 को प्रार्थी को धमकी दी कि यह रास्ता हमारी भूमि में बना हुआ है। हम तुझे यहां से होकर नही निकलने देगे। अब यहां से निकलोगे तो हाथ पैर तोड देगे। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को उक्त धमकी देने व रास्ते पर खाई खोदकर डोल लगा देने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का काज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीगण के उक्त रास्ते को घोषणा करवाया जाना व रास्ते की तरमीम करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हो गया है। रास्ते की घोषणा करने व घोषित रास्ते की तरमीम राजस्व नक्शे में करने का अधिकार श्रीमान को 251 (क) काश्तकारी अधि0 के अन्तर्गत प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता वाके ग्राम छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थ0पत्र अन्तर्गत अवधि निर्धारित न्याय शुल्क में प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम छाबडियों का नयागांव खाता संख्या 166 खसरा संख्या 46 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि जो प्रार्थीगण के खाते दर्ज है उसमें आने–जाने हेतु बने हुये रास्ते को बहाल कराया जावे व उसे राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते में दर्ज किया जावे उक्त घोषित रास्ते की तरमीम राजस्व नक्शे में अंकित करवाई जावे व अप्रार्थी को उक्त रास्ते को बहाल करने के आदेश प्रदान किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्व दिनांक 12.02.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। वकील प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में बहस सुनने का निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि खसरा संख्या 166 रकबा 4.5 बीघा ग्राम छाबडियों का नयागांव जो कि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है पर आने जाने हेतु रास्ता बना हुआ है जिस पर होकर प्रार्थी निकलते है। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने हेतु बने हुये उक्त रास्ते को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा हांक जोत कर बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी अपनी भूमियों पर आ–जा नही पा रहा है व फसल नही ले पा रहा है। अतः प्रार्थी को अपनी भूमि पर आने–जाने हेतु रास्ता घोषित किया जावे। इस बाबत नायब तहसीलदार साहब दबलाना द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद मनन प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 46 वाके ग्राम छाबडियों का नयागांव पटवार क्षेत्र छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली बून्दी में आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता चौडाई में 2 गट्टा व लम्बाई में खसरा नम्बर 841/44 में 64 गट्टा (6 बिस्वा) व खसरा संख्या 48 जो कि राजकीय सिवायचक रिकॉर्ड दर्ज है, में लम्बाई 10 गट्टा (1 बिस्वा) है। इस प्रकार कुल लम्बाई 148 वर्ग गट्टा है जो 7 बिस्वा बनती है, को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकोर्ड में गैर0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें। प्रस्तावित रास्ते की प्रतिकर राशि खसरा संख्या 841/44 की डी0एल0सी0 दर 84,564/- रूपये प्रति बीघा में से 6 बिस्वा (4228x6x2) की दुगनी राशि 50,738/-रूपये व खसरा संख्या 48 की डी0एल0सी0 दर 84,564/- रूपये प्रति बीघा में से 1 बिस्वा (4228x1x2) की दुगनी राशि 8,456/-रूपये कुल राशि 59,194/-रूपये नियमानुसार जमा करवाने के उपरान्त निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली